

फॉर्मांक—प. 5(31) साप्र / ३ / ८२

जयपुर, दिनांक ८ NOV 2012

—आज्ञा:-

विषय:- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (वैसिक+मोबाइल+इन्टरनेट+ब्राउज़रैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/इन्टरनेट/ब्राउज़रैण्ड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 05.08.11 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

“अधिकारियों की तय वित्तीय सीमा में Roaming (National), STD, Plan, Value added services, SMS, Late fees आदि सभी चार्जेज शामिल माने जायेंगे।”

यह आज्ञा वित्त (व्यय-२) विभाग की आई.डी. संख्या 131200605 दिनांक 02.11.12 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—६७  
(चन्द्रमोहन मीणा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/मान. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. समस्त आयोग/निगम/मण्डल राजस्थान।
10. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
11. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निवन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव कर बोर्ड, अजमेर।

उप शासन सचिव